नौमनि ,भारत सरकार के ई-न्यूज़लैटर का 5वां अंक, जुलाई, 2017

भारत सरकार,

पोत परिवहन मंत्रालय,

नौवहन महानिदेशालय,

बीटा बिल्डिंग, 9 वीं मंज़िल, आई-थिंक टेक्नो्‌ कैम्पस, कांजूर मार्ग (पूर्व), मुंबई–400 042

फोन: 91-22-25752040/43 ईमेल: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट: dgshipping.gov.in

नौमनि, भारत सरकार का ई-न्यूज़लैटर
(नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार का तिमाही ई-न्यूज़लैटर)

संरक्षक:	डॉ. मालिनी वी. शंकर, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार	**संपादकीय...** नौवहन को लंबे समय से समाजार्थिक विकास का एक सशक्त उत्प्रे□रक माना जाता रहा है। देश में होने वाला व्या पार बाहर की दुनिया से जुड़े बिना उच्चम स्त र की कार्य कुशलता, लाभदेयता और एक से दूसरे में नहीं पहुँच सकता। समुद्रीय यातायात पर्यवेक्षण विभाग के रूप में पोत प्रबंधन का महत्वतपूर्ण स्थाान है जिसमें पोत की सुरक्षा की महत्ताा निहित होती है। इसके अन्यत कार्यों के साथ–साथ नौमनि ने हाल ही में समुद्रीय सुरक्षा सलाह जारी की है जिसके अनुसार जलयान अदन की खाड़ी (सोमालिया क्षेत्र का तट) में प्रवेश न करें और इस क्षेत्र से दूर ही रहें। किसी को भी इस सुरक्षा सलाह के प्रति कतई लापरवाह नहीं होना चाहिए। पोत प्रचालन की दृष्टि से समुद्रकर्मियों का महत्वर सर्वाधिक होता है इसलिए उनका ठीक तरह से खयाल रखा जाना चाहिए। एमएलसी, 2006 में अधिकारों के सुरक्षोपाय दिए गए है और समुद्रकर्मियों की आवश्यवकताएं बताई गई हैं। इसी तरह से एमएलसी प्रशिक्षणार्थियों और कैडेटों पर भी लागू होता है। नई अप्रत्यलक्ष कर व्यिवस्था के अंतर्गत दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी को लागू किया गया है। नौमनि ने नौवहन जगत में जीएसीटी की प्रयोज्यरता पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया । उद्योग को आवश्य्कता इस बात की है कि अंतरराज्यीरय लेन-देन हेतु महत्ववपूर्ण, 'आपूर्ति का स्थानन' की निर्णायक संकल्पमना सहित विस्ताकर से विधि के प्रावधानों का विश्लेरषण करे। ई-न्यूतजलैटर में समुद्रीय जानकारियां प्रदान की जाती हैं। आपको इसे पढ़ने के बाद कैसा लगता है आप हमें बताएं क्योंमकि हम चाहतें हैं कि हमारी सेवाओं की गुणवत्ताा में सुधार हो। ---गिरधारी लाल सिंह
सलाहकार मंडल:	1. श्री अमिताभ कुमार, भारासे, अपर नौवहन महानिदेशक. 2. श्री बी आर शेखर, मुख्य सर्वेक्षक 3. श्री सुरेश कुमार, मुख्यसपोत सर्वेक्षक 4. कप्ताेन केपी जयकुमार, उप नौटिकल सलाहकार	
संपादक :	जी एल सिंह , कन्सुल्टेंयटहेल्पज डेस्क्	
संपादकीय सहायता :	1. श्रीमती आर. आई. सोलकर, कन्समल्टेंंट 2. श्रीमती वी. आई. शर्मा, कन्स ल्टेंंट 3. श्री डी. डी. मंकीकर, कन्सजल्टेंंट हेल्पी डेस्कु	
हिंदी अंक:	**पांचवा**	
संपादन तथा अनुवाद:	विमलेन्द्रं भदौरिया	
टाइपसेटिंग:	श्रीयुत श्रीराम	

अस्वीकरण: इस न्यू ज़लैटर में निहित सामग्री मात्र सूचना के प्रयोजन से है. इसमें निहित सामग्री के सटीक होने या फिर अधिप्रामाणिक होने का कोई दावा नहीं है, न इस न्यूयज़लैटर में दी गई यइसमें कहीं से समाविष्टं की गई किसी भी जानकारी हेतु किसी व्य0क्तिया संगठन को उत्तोरदायी ही ठहराया जा सकता है.

नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार का वक्तहव्यव ...

आवधिक निरीक्षण को किए जाने की आवश्याकता के लिए ध्व़ज राष्ट्रों की अपेक्षा को समझते हुए नौमनि ने इसकी एफएसआई / पीएससी व्यरवस्थाए की समीक्षा की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जलयान समुद्र में चलने लायक स्थिति में हैं तथा उनके पास आवश्य क प्रमाण-पत्र हैं। समीक्षा में इस आवश्य कता पर बल दिया गया कि तय किया गया निरीक्षण किया जाए साथ ही यथावश्य़क रूप से अचानक निरीक्षण भी किया जाए। निदेशालय ने यह भी निर्णय लिया है कि उन जलयानों को अगली एफएसआई / सामान्यय परीक्षा से छूट दी जाए जिन्होंिने तय देशों द्वारा समरूत पीएससी निरीक्षण संतोषजनक रूप से करवा लिए हैं और जिनमें ऐसी कोई कमियां न हों जिनके कारण इन्हेंव रोका जा सके और कमियां यदि हों भी तो कुल मिलाकर ये पांच से अधिक न हों।

एसटीसीडबल्यू के अंतर्गत प्रकार्य की सक्षमता हेतु परीक्षा उत्तीमर्ण करने की योग्यकता वाकई एक महत्वकपूर्ण गुण है। परीक्षा में अभ्यार्थियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु तैयारी पाठ्यक्रम किए जाएं। प्रोफेशनल कौशलों, गुणवत्ता प्रदर्शन में अभिवृद्धि लाने की दृष्टि से इस निदेशालय के नए भर्ती हुए / अधिकारियों हेतु एक गैर तकनीकी (प्रशासनिक) प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

दिनांक 25 जून, 2017 को समुद्रकर्मी दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्यातन से किया गया और इसका समापन मंत्रालय में लगाई गई प्रदर्शनी से हुआ, प्रयोजन यह था कि नौवहन की महत्ताय और समुद्रकर्मियों के अनूठे योगदान की ओर ध्या्नाकर्षित किया जा सके।

(डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे)

नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार

माननीय केन्द्री्य सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत परिवहन, रसायन तथा उर्वरक राज्य् मंत्री भारत सरकार का नौमनि मुंबई में पदार्पण

माननीय केन्द्री य सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत परिवहन, रसायन तथा उर्वरक राज्यक मंत्री, श्री मनसुख एल. मांडविया, नौमनि के कार्यालय में पधारे । डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार और श्री अमिताभ कुमार, भारासे, अपर नौवहन महानिदेशक ने उनका स्वाि‍गत किया ।

माननीय मंत्री महोदय ने दिनांक 11 मई, 2017 को 1100 बजे नौवहन महानिदेशालय के अधिकारियों और नौवहन उद्योग के हितधारियों के साथ बैठक की । इस बैठक का प्रयोजन यह था कि हितधारियों से यह जाना जाए कि भारतीय नौवहन जगत को किस तरह से और प्रखर बनाया जा सकता है तथा उद्योग से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाए, खासतौर से ऐसे तरीके ईज़ाद किए जाएं जिनसे भारतीय समुद्रकर्मियों को मिलने वाले रोजगार के अवसर बढ़ें ।

नौवहन महानिदेशालय, एलआरआईटी की भूमिका, समुद्रर्मियों से संबंधित आंकड़े और कामराज पत्तीन एन्नौरर में पोतों की भिड़न्त से संबंधित प्रस्तुनतीकरण किए गए   । नौवहन महानिदेशालय द्वारा आरंभ किए गए प्रमुख कानूनी सुधारों पर भी माननीय मंत्री महोदय को जानकारी दी गई । प्रस्तुीतीकरणों के उपरांत बातचीत का एक सत्र आयोजित किया गया जिसमें मंत्री महोदय ने नौवहन उद्योग के प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए ।

नौ-अधिकरण विधेयक तथा वापोप विधेयक जैसे नए विनियमों को शुरू करने संबंधी नौवहन महानिदेशालय के प्रयासों की माननीय मंत्री महोदय ने प्रशंसा की । टास्कि फोर्स द्वारा की गई संस्तुहतियों की भी तारीफ की गई और समुद्रीय कामकाज के बारे में जागरूकता लाने हेतु निजी तथा सार्वजनिक भागीदारी की आवश्युकता पर विचार-विमर्श किया गया । माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा कि भारतीय नौवहन उद्योग का विकास उनकी प्राथमिकता वाली परियोजना है । उन्हों□ने बल दिया कि समुद्रकर्मी हमारे देश का प्रतिनिधित्वथ दूसरे देशों में जा कर राजदूतों की तरह करते हैं और अगर उनमें कौशल होगा तथा आगे बढ़कर काम करने की ललक होगी तो दुनिया के बाजार में सबसे पहले उन्हीं□ की पूछ होगी और उनकी उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ेगा ।

माननीय मंत्री महोदय के साथ नौमनि, अपर नौमनि तथा अन्य3

समुद्रकर्मियों / हितधारियों की प्रतिक्रिया :

नौवहन महानिदेशालय, कांजुरमार्ग, मुंबई में 10 अप्रैल को मेरी क्लारस 2 की मौखिक परीक्षा हुई । मेरे विचार से मौखिक परीक्षा बहुत ही अच्छीं तरीके से आयोजित की गई । पूछे गए सभी प्रश्न पोत पर आवश्याक समुद्रीय इंजीनियरिंग और संकल्पंनाओं के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित थे । कोई भी प्रश्नो ऐसा नहीं था जो पाठ्यक्रम से बाहर का रहा हो । परीक्षक ने मेरा उत्सासहवर्धन किया और सोच विचार कर उत्तपर देने के लिए मुझे पर्याप्तब समय दिया । परीक्षा लेने के तरीक से मैं अत्यंनत प्रसन्नच हूँ ।

सुश्री भाग्यतश्री ओगाले, टिकट नं. 213113

डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, **नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार**

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, विशेष सचिव के स्तोर पर उसी जगह क्रमोन्नरत करने का अनुमोदन प्रदान किया। वर्तमान में डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, के पास नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, मुंबई (भारतीय समुद्रीय प्रशासक) का कार्यभार है।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पहले ही केन्द्रट में सचिव / सचिव स्तार के पद पर नियुक्ति हेतु डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, (महाराष्ट्रं 1984) का नाम अनुमोदित कर दिया है।

संपादक मंडल नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार और समूचे नौवहन जगत की ओर से डॉ. मालिनी वि. शंकर को विशेष सचिव, भारत सरकार के पद पर पदोन्नेत होने के परिणाम स्व रूप बधाईयां और शुभकामनाएं देता है।

-गिरधारी लाल सिंह, संपादक और उनका संपादक मंडल

अदन की खाड़ी (सोमालिया क्षेत्र आदि के तट) के पार जाते पोत / जलयान – समुद्रीय सुरक्षा सलाह

Image Credit: European Union Naval Force, Somalia.

नौमनि ने दिनांक 06.04.2017 के नॉटिकल अनुभाग से जारी समुद्रीय लूटपाट संबंधी परिपत्र सं. 1/2017 के माध्यलम से यह सलाह / चेतावनी पाल जलयानों और मात्स्यिकी जलयानों सहित सभी भारतीय पोतों के स्वानमियों / प्रचालकों और मास्टमरों को दी गई । वे इस क्षेत्र में न जाएं और अपने जलयानों को इस क्षेत्र से दूर रखें और यथासंभव रूप से कम से कम तट से न्यू नतम 200 नॉटिकल मील से अधिक की दूरी बनाए रखें ।

जो इन अनुदेशों का उल्लं।घन कर अपने जलयान इस समुद्रों में चलाएंगे तो जोखिम के लिए भी वे ही जिम्मेअदार होंगे । विभिन्नय कोरियाई नौसेना पोतों, यूके, समुद्रीय व्या◌ापार प्रचालकों और अंतर्राष्ट्री□य समुद्रीय ब्यू◌ेरो ने बताया है कि लूटपाट में एमएसवी का अपहरण फिरौती वसूल करने के लिए किया जा रहा है ।

समुद्रकर्मियों / हितधारियों की प्रतिक्रिया :

यह बहुत ही मददगार और प्रयोग करने में आसान है । इससे समय की काफी बचत होती है ।

1)परीक्षा की बुकिंग
2) हाल टिकट और परीक्षा पत्रक आसानी से मिलना

साहिल कटारिया टिकट नं. 266911

कार्य बल समिि्तिभारतीय समुद्रकर्मियों का बढ़ता नियोजन :

नौवहन और लॉजिस्टिंग उद्योग बढ़ोतरी के लिए सन्नद्ध है, इसमें बहुत ही शानदार कैरियर और नियोजन के अवसर निहित हैं। विश्वग में भारतीय समुद्रकर्मियों के नियोजन में बढ़ोतरी की रूपरेखा और कार्य पद्धति संबंधी योजना को तैयार किए जाने की दृष्टि से हितधारियों (इन्साय, मासा, फोसमा, इक्सा्े, नूसी, एमयूआई, एमएससी आदि) के साथ दिनांक 31.03.2017 को विचार-विमर्श के आधार पर निदेशालय ने निर्णय लिया कि मुद्दों की जांच करने के लिए नौमनि के अध्यक्षता के अंतर्गत एक कार्य बल समिति का गठन किया जाए।

जून, 2017 को समाप्तक होने वाली तिमाही के दौरान दिनांक 06.04.2017 और 2;.04.2017 को दो बैठकें आयोजित की गईं। समिति ने अन्यक बातों के साथ-साथ निम्नोनक्त6 मुद्दों में निर्णय लिया : 1. कार्यशाला प्रशिक्षण तथा संचार कौशलों सहित दिए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता् में सुधार;

2. इसमें पत्तशनों तथा विमान पत्तगनों में भारतीय समुद्रकर्मियों हेतु ई-माइग्रेन्टण कार्यक्रम का कार्यान्विनयन;
3. भारतीय अधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार ;
4. भारतीय समुद्रर्मियों को इस लायक बनाना कि वे यूरोप, न्यूधजीलैंड, आस्ट्रेयलिया, दक्षिण अमेरिका, रूस आदि देशों के पोतों पर जाकर यथास्थिति कार्य कर सकें न कि महज वीज़ा पा के बैठ जाएं। समिति में इस बात पर विचार किया गया कि भारतीय समुद्रकर्मियों की सक्षमता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के क्याय तरीके हों।

आशा है कि समिति जल्दर ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

सीओसी पष्ठां कन – विनियम।/2. परिच्छ्रेणद 11:

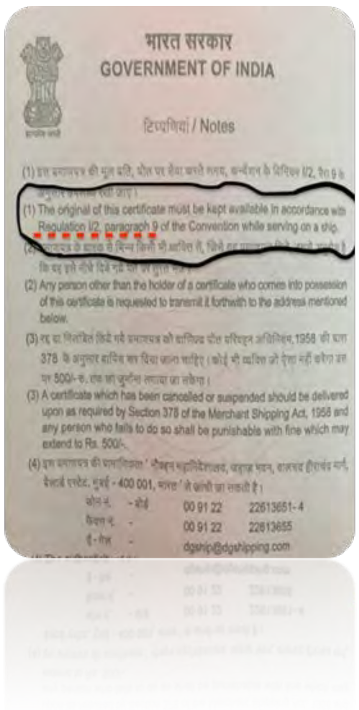	नौमनि ने समुद्रीय वाणिज्यस विभागों को दिनांक 24.04.2017 के नॉटिकल / इंजीनियरिंग परिपत्र सं. 1/2017 के माध्य:म से निदेश दिया है कि जिन सक्षमता प्रमाण पत्रों यानी सीओसी को पुन: मान्यहता प्रदान की गई है जिनके अगले पृष्ठय पर 'विनियम I/2, कन्वेंैशन का परिच्छे द 9' की टिप्प1णी के साथ एसटीसीडबल्यूि, 1978 कन्वेंकशन के 2010 वाले संशोधनों तक अद्यतनीकृत सक्षमता प्रमाण पत्रों का पृष्ठां कन कर मोहर लगाई जाएगी जिसके अंतर्गत सीओसी पुस्तिका के अतिरिक्तष पृष्ठों में, 'पोत पर कार्य करते समय कन्वेपशन के विनियमI/2, परिच्छेकद 11 के अनुसरण में इस प्रमाण की मूल प्रति आवश्यवक रूप से उपलब्ध2 रखी जाएगी', लिखा होगा।

जिन समुद्रकर्मियों के पास 2010 संशोधनों तक अद्यतनीकृत सक्षमता प्रमाण पत्र हैं वे अपनी सुविधानुसार अपने सक्षमता प्रमाण पत्र पर तदनुसार मोहर लगवाने के लिए अपने निकटतम समुद्री वाणिज्यअ विभाग में जा सकते हैं।

पत्त न राष्ट्र नियंत्रण निरीक्षणों के दौरान एसटीसीडबल्यूम में 2010 के संशोधनों की अनुपालना वाले भारतीय सक्षमता प्रमाण पत्रों से संबंधित मुद्दों की रोकथाम करने के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र के अगले पृष्ठी की टिप्पतणियों को निम्नोंक्तन रूप से पढ़ा जाए :

"पोत पर कार्य के दौरान इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति कन्वें□शन के विनियमI/2, परिच्छ्रेद 11 के अनुसरण में अवश्यो रखी जाए"

तैयारी पाठ्यक्रम - मूल्यां कन हेतु आवश्यीकता

सक्षम प्राधिकारी ने इस बात पर बल दिया है कि तैयारी पाठ्यक्रम पूरा होने के प्रमाण पत्रों को जारी किए जाने से पहले अभ्य र्थियों का लिखित और मौखिक मूल्यांहकन किया जाए। समुद्री संस्था2नों को भी दिनांक 02.05.2017 के इंजीनियरिंग परिपत्र सं. 138/2017 के माध्य.म से सलाह दी गई कि वे दो वर्ष तक सभी परीक्षाओं के अभिलेख अपने पास रखें। आवधिक निरीक्षणों के दौरान इनका सत्याखपन किया जाएगा। (उद्योग से प्राप्तन प्रतिक्रिया और एमईओ क्लारस 1 तथा एमईओ क्लागस 2 परीक्षाओं के परिणामों के उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि उततीर्ण अभ्यंर्थियों का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है)।

इस पाठ्यक्रम का मंतव्यह ये है कि अभ्यरर्थी को परीक्षा के लिए तैयार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभ्ययर्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं।

<u>समुद्रकर्मी / हितधारी की प्रतिक्रिया</u> :

एमईओ की लिखित और मौखिक परीक्षाओं के लिए सीट बुक कराने के साथ-साथ शुल्कि जमा कराना भी आसान है, इसमें न तो कोई जोखिम है न कोई झंझट। हम अपना परिणाम ई-गवर्नेंस साइट पर भी देख सकते हैं।

राजेन्द्र। सिंह बुटोला, टिकट नं. 759069

नौमनि द्वारा सवावि, हल्दिया के नए कार्यालय का उद्घाटन

डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार ने दिनांक 8 मई, 2017 को श्री जी सेन्तिलवेल, उपाध्येक्ष कोलकाता पत्तईन न्यादस, श्री एस. के. सिन्हाध, प्रधान अधिकारी समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता और उनकी टीम की उपस्थिति में समुद्री वाणिज्यल विभाग, हल्दिया के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया।

नौमनि ने नौवहन जगत तथा अन्यक संबद्ध उद्योगों तक सेवाओं को पहुँचाने के लिए हल्दिया में प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्यघ विभाग, कोलकाता का एक अधीनस्थ कार्यालय दिनांक 07.07.2003 को खोला था। तब से लेकर इसका कामकाज कोलकाता पत्त न न्याइस – हल्दिया डॉक कम्पालेक्स के प्रचालन भवन द्वारा दिए गए एक कमरे में होता आ रहा है।

यह कार्यालय भवन चिरंजीवपुर हल्दिया में 2000 वर्गमीटर के एक प्लॉयट पर बनाया गया है जिसका पट्टा 30 साल के लिए कोलकाता पत्तलन न्या◌स्एचडीसी द्वारा नौमनि के नाम लिखा गया है । केलोनिवि ने वर्ष 2010 में निर्माण कार्य आरंभ किया और इसके निर्माण तथा बिजली संबंधी कार्यों के पूरे होने के पश्चाकत् 02.01.2017 को सवावि, हल्दिया द्वारा यह भवन अपने कब्जेर में ले लिया गया ।

प्रधान अधिकारी सवावि, कोलकाता और उनकी टीम ने सवावि, हल्दिया के भवन से लगी भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य आरंभ किया । इस अभियान का शुभारंभ नौमनि की उपस्थिति में किया गया । नौमनि ने इस पर्यावरण अनुकूल पहल की प्रशंसा की और सभी का आह्वान किया कि वे अभियान में शामिल होकर ज्याभदा से जयादा वृक्षारोपण करें ।

नए कार्यालय भवन में आने के उपरांत सवावि, हल्दिया के संपर्क विवरण निम्नाकनुसार हैं :

कार्यालय	समुद्री वाणिज्य विभाग, चिरंजीवपुर (बीएसएनएल कार्यालय भवन के सामने) हल्दिया-721604,पूर्वी मेदनीपुर, बंगाल । फोन / फैक्स4 03224-253986, ई-मेल आईडी : mmdhaldia@gmail.com
प्रभारी सर्वेक्षक	अनिरुद्ध चक्कीड फोन नं. - 03224-297032 (मो.) 09820384521, ई-मेल आईडी : haldia-sicmmd@gov.in
नॉटिकल सर्वेक्षक	कप्तालन सव्य साची मुखोपाध्याय़य (मो.) 09830023923, ई-मेल आईडी: capt.sabyasachi@gmail.com

<u>समुद्रकर्मी / हितधारी की प्रतिक्रिया :</u>

मुझे हैरानी हो रही है कि 10 दिन के भीतर मेरा बदला हुआ सीडीसी मुझे मिल भी गया। इस महती सेवा के लिए मैं नाविकपाल कोलकाता का हृदय से आभारी हूँ। मुझे सवावि, कोलकाता पर गर्व है। धन्यसवाद

कपिल चौधरी टिकट नं. 197944

मिनीकॉय द्वीप समूह के निवासियों के लिए नौमनि द्वारा कल्या ण उपायों पर विचार

नौवहन महानिदेशक ने लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वाले मिनीकॉय द्वीप मूल के निवासी उन अभ्यलर्थियों के लिए न्यूपनतम शैक्षिक योग्यनता अपेक्षा घटाकर आठवीं पास कर दी है जो जीपी रेटिंग कोर्स हेतु समुद्र पूर्व 6 मास के प्रशिक्षण में प्रवेश लेना चाहें और समुद्रीय खानपान में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (सीसीएमसी) और सीडीसी प्राप्तह करना चाहें।

यह नौमनि के आदेश दिनांक 09.05.2017 को जारी नौमनि आदेश सं. I/2017 में निहित निश्चित शर्तों पर निर्भर होगी।

समुद्रकर्मी / हितधारी की प्रतिक्रिया :

बहुत ही बढ़िया और हर तरह से सदैव सहायता हेतु तत्परर

बालू ए. अय्यर । टिकट नं. 612621

व्या पक निरीक्षण कार्यक्रम : बाध्य1कारिताओं पर खरे उतरें

(1) नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थायनों में प्रशिक्षण की गुणवत्ताह में सुधार लाने के लिए सीआईपी मार्गदर्शन हेतु नौमनि आदेश सं. 23/2014 जारी किया गया था। आज तक, कई संस्थाेनों ने सीआईपी नहीं करवाया है। भारतीय समुद्रीय प्रशासन ने सीआईपी न करवाने वाले प्रशिक्षण संस्थातनों के इस ढीले रवैये को गंभीरता से लिया है और निदेश दिया है कि समुद्र पूर्व पाठ्यक्रमों को आयोजित करने वाले जो प्रशिक्षण संस्था न 31 जुलाई, 2017 तक मार्गदर्शी सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरते तो पाठ्यक्रमों में उनकी भर्ती की क्षमता को अगस्ति, 2017 से 10 प्रतिशत घटा दिया जाएगा ।

(2) दिनांक 17.11.2016 के माननीय मद्रास उच्च0 न्यातयालय के निदेशों के अनुसरण में तथा नौमनि अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थाननों में दिए जा रहे शिक्षण की गुणवत्ता को बनाए जाने के लिए प्रशिक्षण संस्थाि‍नों को दिनांक 30.05.2017 के नौमनि आदेश सं. 3/2017 के माध्यउम से निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समुद्री वाणिज्या विभागों के माध्ययम से सीआईपी करवाएं। अगर वे चाहें तो यह कार्य आरओ के माध्य म से करवा सकते हैं। आदेश जारी होने के बाद दो महीने के भीतर सीआईपी करवा लिया जाना चाहिए। जो संस्थामन इन निदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ करवाई की जाएगी जिसमें अनुमोदन वापस लिया जाना / भर्ती की संख्यान में कटौती करना या फिर नए पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किए जाने से इनकार किया जाना शामिल होगा।

समुद्रकर्मी / हितधारी की प्रतिक्रिया :

समुद्री वाणिज्यम विभाग को बहुत-बहुत धन्यसवादएक ही दिन में डीसीई मिल गया ।

शिव राजन प्रवीण कनकालयम टिकट नं. 328304

इमर्शन सूट और एन्टीत एक्सेपोज़र सूट- आवधिक जांच की आवश्याकता

इमर्शन या सर्वाइवल सूट एक विशेष प्रकार का वॉटर प्रूफ ड्राई सूट होता है जिस पहनने से बचाव होता है। नि:संदेह इसकी पर्याप्तन देख रेख किए जाने की आवश्यिकता होती है।	

नौवहन महानिदेशालय में दिनांक 31.05.2017 को परिपत्र सं. एन्टीी/ एलएसए/ 01/2017 जारी किया जिसमें कहा गया है कि हर सूट की वायुदाब जांच हर तीन साल के भीतर की जानी चाहिए और 10 साल के बाद यह जांच एक साल छोड़कर की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूट पर्याप्ते रुप से मजबूत हैं और इनकी सिलाई यथापेक्षित रुप से बरकरार है।

यह वायुदाब जांच इनमें से किसी एक द्वारा की जाएगी (ए) भारत में स्थित नौमनि अनुमोदित ऐसा लाइफ राफ्ट सर्विस स्टेनशन जिसके पास पर्याप्ती सुविधाएं हों या (बी) भारत के बाहर कोई आईएसीएस श्रेणी का अनुमोदित सर्विस स्टेशन या (सी) उक्तए परिपत्र में दिए अनुसार पोतस्थ कार्मिक।

महीन अयस्कै / संकेद्रित कार्गो और समरूपी कार्गो– 100% पीएससी / एफएसआई की अपेक्षा से छूट

महीन अयस्कन / संकेद्रित अयस्कोंु और समरूपी कार्गो की लदाई वाले सभी जलयानों के 100 प्रतिशत पीएससी / ध्वपज राष्ट्रा कार्यान्वजयन निरीक्षण की अपेक्षा से दिनांक 01.06.2017 के एनटी / इंजीनियरिंग परिपत्र सं. 2/2017 के माध्य0म से छूट प्रदान की गई । तथापि, पीएससी / एफएसआई को नौवहन महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित नियमित पीएससी / एफएसआई व्यनवस्था‍े के भा के रूप में किया जाएगा ।

इसके अलावा, वापोप सूचना सं. 9/2010 के अनुसार 'ए' श्रेणी के कार्गो के उपरांत लादने/ ले जाने से पहले संबंधित समुद्री वाणिज्य विभाग से निकासी अनुमति / अनुमोदन प्राप्ते करने की अपेक्षा से भी छूट प्रदान कर दी गई है ।

समुद्रकर्मी / हितधारी की प्रतिक्रिया :

वैबसाइट पर ये बड़े कमाल की चीज है ... मैने अपना सीडीसी बदलवाने के लिए आवेदन किया था और जब तक ये बदल नहीं गया तब तक मुझे अपने हर सवाल का जवाब तुरंत मिला । वाकई यह बहुत ही मददगार साबित हुआ है और समुद्रकर्मी को उन चिंताओं से मुक्ति मिल गई है जिनकी वजह से वह परेशान रहा करता था । आपका सबका धन्यकवाद ।

नितिन बी. नायर, टिकट नं. 377596

समुद्रीय श्रम कन्वें□शन, 2006प्रशिक्षणार्थियों तथा कैडेटों के लिए प्रयोज्यिता

नौमनि ने दिनांक 02.06.2017 की अपनी वापोप सूचना सं. 4/2017 के माध्य6म से यह स्पपष्टच किया था कि प्रशिक्षणार्थी औ जलयानों पर नियोजित / कार्यरत कैडेटों पर समुद्री श्रम कन्वेंंशन, 2006 के प्रावधान, जिस तरह से वाणिज्यं पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) नियम, 2016 में दिए गए हैं वे उसी तरह से अन्यन समुद्रकर्मियों की तरह उन पर लागू होंगे। इस संबंध में भारतीय पोत स्वाममियों की ओर से अभ्यागवेदन देकर अनुरोध किया गया है कि समुद्रीय श्रम कन्वेंंशन, 2006 के प्रावधानों से छूट प्रदान की जाए।

नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार ने इस विषयवस्तुभ पर हितधारियों के साथ व्यासपक बातचीत की और समुद्रीय राष्ट्रों□ के संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों का हवाला भी दिया। तथापि, इस उपयुक्त् नहीं पाया गया।

गोवा में दिनांक 08 और 09 जून, 2017 को अंतरराष्ट्री◌ेय तेल प्रदूषण क्षतिपूर्ति तथा दायित्व व्यावस्था पर कार्यशाला

डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार के मार्गदर्शन में गोवा में 8 और 9 जून, 2017 को विवान्टाश बाई ताज पणजी में अंतरराष्ट्री□य तेल प्रदूषण क्षतिपूर्ति [आईओपीसी] व्यवस्था1 पर एक कार्यशाला का आयोजन नौवहन महानिदेशालय ने किया।

तेल के छलकने की वजह से वित्तीिय नुकसान तो होता ही है साथ ही संपत्ति के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता है और मुख्यव रूप से इसके कारण स्थातनीय मात्स्यिकी तथा पर्यटन उद्योग को क्षति पहुँचती है। सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिए जाने के बाद भी सफाई का कार्य न सिर्फ चुनौती भरा बल्कि महंगा भी पड़ता है। तेल छलकने की वजह से जिन्हें◌ा नुकसान पहुँचता है वे क्षतिपूर्ति के पात्र होते हैं। हालाँकि,स्रोत पर तेल के छलकने के कारण हुई हानि हेतु नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रयोनीय कानूनी व्यकवस्था पर आधारित होगा। कार्यशाला में इसके प्रतिभागियों को यह अवसर प्रदान किया गया कि वे अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण क्षतिपूर्ति व्य वस्थार का विहंगावलोकन करें और यह जानें कि दावा प्रक्रिया सहित संभावित रुप से क्षतिग्रस्त् लोगों हेतु यह कैसे कार्य करती है।

इस कार्यशाला का आयोजन आईयूपीसी में थी, इंटरनेशल ग्रुप ऑफ पी एण्डू आई एसोसिएशनों और अंतरराष्ट्री□य टैंकर स्वाडमी प्रदूषण फेडरेशन (आईटीओपीएफ) के सहयोग से किया गया था।

8 जून को विशेष रुप से पोत परिवहन मंत्रालय, नौवहन निदेशालय और समुद्रीय वाणिज्यप विभागों के अधिकारियों का आधे दिन का सत्र आयोजित किया गया था। इससे आईओपीसी निधियों, अंतरराष्ट्री□य ग्रुप ऑफ पी एंड आई एसोसिएशनों और अंतरराष्ट्री□य टैंकर स्वा◌ीमी प्रदूषण फेडरेशन (आईटीओपीएफ) के शिष्ट मंडलों के साथ सक्रिय रुप से बातचीत करने के लिए एक मंच मिला।

प्रमुख पत्तमनों, छोटे पत्तचनों, राज्ये समुद्रीय मंडलों, मात्स्यिकी विभाग, राज्यय प्रदूषण नियंत्रण मंडलों निजी और सार्वजनिक तेल कंपनियों और बीमा कंपनियों के अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारियों सहित 160 प्रतिभागियों द्वारा 9 जून को आयोजित पूरे दिन की कार्यशाला में भाग लिया गया। इस कार्यशाला में महत्वलपूर्ण जानकारी दिए जाने के लिए इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

नौवहन महानिदेशालय ने दो बैचों में गैर तकनीकी (प्रशासनिक) मामलों के नए रंगरूटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया; (i) इसका आयोजन 12 से 24 जून, 2017 और (ii) 27 जून से 9 जुलाई, 2017 को पूना स्थित यशवंतराव चव्हा ण अकेडमी ऑफ डिवैल्पआमेंट एडमिनिस्ट्रेमशन (यशदा) में किया गया। इस प्रशिक्षण का लक्ष्यव उनके प्रोफेशनल कार्य - कौशल तथा कार्य की गुणवत्तार तथा संतोषप्रदता में वृद्धि लाना है और इसका लक्ष्य् संगठनात्महक विकास तथा इसकी अपनी दृष्टि की दिशा में सफलता प्राप्ते करना है।

वाणिज्यप पोत परिवहन विधेयक

16.12.2016 को वाणिज्यस पोत परिवहन विधेयक, 2016 लोकसभा में लाया गया जिसे विभाग संबंधी परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्था यी समिति द्वारा जांचा और इस पर विचार किया जा रहा है. माननीय सांसद श्री मुकुल राय की अध्यृक्षता में इस समिति ने 12.05.2017 को सचिव (नौवहन), भारत सरकार और नौमनि, भारत सरकार के विचार सुने. समिति द्वारा तमाम प्रश्नव किए गए और बातें सामने लाई गईं और नौमनि ने उनका भी जवाब दिया.

इसके अलावा जून, 2017 मास में समिति की तीन और बैठके अहमदाबाद, मुंबई और कोचीन में की जाएंगी ताकि उक्ता विधेयक पर हितधारियों और पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार सुने जा सकें.

समिति अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुरत करेगी.

भारतीय ध्व ज जलयानों के निरीक्षण (एफएसआई) की समीक्षा नौमनि ने की

दिनांक 18.06.2017 की वाणिज्यप पोत परिवहन की सूचना सं.4/2017 के माध्यतम से करीब 4 वर्ष के उपरांत नौवहन महानिदेशक ने अपने ध्व ज राष्ट्रह निरीक्षण (एफएसआई) की समीक्षा की.

इस समीक्षा की पृष्ठमभूमि यह है कि वर्ष 2015 और 2016 कैलेंडर वर्ष के लिए एफएसआई और पत्ततन राष्ट्रर निरीक्षण के आंकड़ों से पता चला है कि 25 साल से कम आयु वाले और खास तौर से 15 साल से कम आयु वाले पोतों को बड़ी संख्यास में रोका गया है. 25 साल से कम आयु वाले भारतीय ध्वज जलयानों की सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी स्थिति के बारे में इस वजह से चिंता हुई.
इस सूचना की कुछ विशेषताएं है:

- ❖ यह इस सूचना के जारी होने की तारीख से नदी समुद्र जलयानों और भारतीय तटवर्ती जलयानों सहित सभी जलयानों पर लागू होगा;
- ❖ ध्व ज राष्ट्रर निरीक्षणों की सारणी:

क्र.सं.	**पोत का प्रकार और आयु**	**ध्वआज राष्ट्र निरीक्षणों की बारंबारता**
1	यात्री पोत	प्रत्येपक कैलेंडर वर्ष में यात्री पोत सुरक्षा सर्वेक्षण के 3 महीने बाद किंतु इसकी तारीख समाप्तय होने से 3 महीने पहले.
2	कार्गो पोत (0-5 वर्ष की आयु)	पहले पूर्ण अंतरवर्ती सांविधिक सर्वेक्षणों के पूरा होने के बाद 1 से 3 महीने के बीच एक निरीक्षण.
3	कार्गो पोत (5-15 वर्ष की आयु)	2 साल में एक बार यानी प्रत्येकक 1 वर्ष के अंतर से वार्षिक / अंतरवर्ती / नवीकरण यथा स्थिति सांविधिक सर्वेक्षण के पूरा के बाद 1 से 3 महीने के बीच.

4	कार्गो पोत (15 वर्ष से अधिक आयु)	हर वर्ष वार्षिक / अंतरवर्ती / नवीकरण यथा स्थिति सांविधिक सर्वेक्षण के पूरा के बाद 1 से 3 महीने के बीच.

- **तय न किए गए ध्वजज राष्ट्र निरीक्षण :** वर्तमान में अचानक निरीक्षण द्वारा एफएसआई किए जाने की व्यतवस्थाव और इसकी सूचना दिया जाना यथावत जारी रहेगा.
- **ध्वनज राष्ट्र कंप्यूि्टरीकृत सूचना प्रणाली (एफएससीआईएस) :**

  ए) हितधारियों के लाभार्थ भारत में पंजीकृत सभी पोतों के लिए नौमनि ने वेव आधारित केन्द्री□कृत कंप्यूवटर सूचना प्रणाली बना रखी है

  बी) नौवहन कंपनियों, मान्यतता संगठनों (आरओ) और सवावि से अपेक्षा है कि वे 2 कार्य दिवसों के भीतर इस डाटाबेस में सामान्यय परीक्षा और एफएसआई की निरीक्षण रिपोर्टें अपलोड कर दें;

  सी) यह सुनिश्चित करना कंपनी की जिम्मेएदारी होती है कि निश्चित अवधि के भीतर संबंधित आरओ द्वारा एफएससीआईएस पर सामान्यक परीक्षा आद्यक्षर और त्रुटि सुधार रिपोर्टें अपलोड कर दी जाएं

- **सत्याएपन तथा अनुवीक्षण**

  ए) इस सूचना का अनुपालन कंपनी के वार्षिक डीओसी लेखा परीक्षण के दौरान सत्यािपित किया जाएगा;

  बी) कमियों को 1 मास की अवधि में पूरा कर लिया जाए;

  सी) एफएसआई के लिए आवेदन की प्रक्रिया तथा एसओपी नौमनि की वैबसाइट पर उपलब्धि है

समुद्रकर्मी/ हितधारी की प्रतिक्रिया

वैबसाइट बहुत ही बढ़िया है इससे हर किसी का काम घट गया है.

श्री दिव्य भान सिंह उदय राजावत, टिकट नं. 949975

'नाविक' दिवस' समारोह

राष्ट्री□य समुद्री दिवस समारोह (केन्द्री□य) दिनांक 25 जून, 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया. 'हार्टफुलनेस मास्टदर क्ला◌ेस' ध्यादन कार्यक्रम का आयोजन श्री संजय भाटिया, भाप्रसे, चेयरमैन, मुंबई पत्तहन न्या्स के मार्गदर्शन में के. आर. कामा इन्टीयो□□ट्यूट बिल्डिंग, बम्ब ई समाचार, पोर्ट, मुंबई में किय गया.

मुख्या आयोजन, 'समुद्रकर्मियों को पुरस्कारर तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम' का आयोजन समुद्री प्रशिक्षण संस्थारन, पवई, मुंबई में किया गया.

श्री अमिताभ कुमार, भाराजे, अपर नौवहन महानिदेशक से मुख्यन अतिथि का स्थादन ग्रहण कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. इस दिन शुरुआत एसटीसीडबल्यूो कन्वें शन पर मनीला में 2010 की कॉन्फ्रें□स द्वारा अंगीकृत संकल्पए हुई.

प्रयोजन यह है कि दुनिया भर के समुद्रकर्मियों द्वारा अंतरराष्ट्री□य समुद्री व्यातपार, विश्वा की अर्थव्य वस्था◌ा और समूचे सामाजिक ढांचे में उनकी अनूठी भूमिका को मान्यीता प्रदान की जाए. नाविक दिवस का विषय, 'नाविक का बड़ा महत्व है' था.

डॉ. मालिनी वि. शंकर भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक के मार्गदर्शन में भारतीय नौवहन एक्स पो का आयोजन 27 और 28 जून, 2017 को मंत्रालय में नाविक दिवस के अवसर पर किया गया. एक्सकपों का उद्घघाटन श्री सुमित मलिक भाप्रसे, मुख्यो सचिव, महाराष्ट्रक सरकार ने किया.

<u>समुद्रकर्मी/ हितधारी की प्रतिक्रिया</u>

ऑनलाइन बुकिंग सबके लिए बहुत बढ़िया है.

महेन्द्र□ यादव टिकट नं689908

अप्रत्यबक्ष कर संरचना के नए युग का सूत्रपात- नौमनि द्वारा जागरूकता कार्यक्रम

भारत के आर्थिक इतिहास में माल और सेवा कर (जीएसटी) आज तक का सबसे बड़ा सुधार है. इससे भारत में आर्थिक सुदृढ़ता की एक नई शुरूआत होगी. जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू किया जा रहा है.

आरंभ में नौमनि ने माल और सेवा कर (भारत) के बारे में जागरूकता पर एक भाषण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें नौवहन क्षेत्र में जीएसटी के लागू होने पर बल दिया गया इसका आयोजन 27 जून, 2017 को नौमनि मुंबई के सभाकक्ष में हुआ. श्री कमलेश दवे, सीए ने यह भाषण दिया और श्री आर एस अय्यर, सीए ने उनकी सहायता की. इस कार्यक्रम में नौमनि के अधिकारी, इन्सा , मासा, फोसमा के प्रतिनिधि और नौवहन उद्योग के अन्यत हितधारी शामिल थे. इस भाषण में अन्य, बातों के साथ-साथ आधारभूत संरचना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कराधान का स्थांन, उद्योग पर प्रभाव के अंतर्गत इनकी मुख्यन विशेषताएं और मुख्य परिभाषाएं शामिल की गईं, इसके बाद प्रश्नोथत्त र का क्रम चला.

पंडित दीनदयान उपाध्यांय ज्म्238 शताब्दी् समारोह

भारत सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्या,य की जन्मो शताब्दी मना रही है. माननीय पोत परिवहन मंत्री महोदय ने इच्छाि व्यपक्त की है कि पंडित दीनदयाल उपाध्या य का नीचे दिया गया लोगो को शताब्दीए समारोह के दौरान मंत्रालयों तथा संगठनों के सभी विज्ञापनों में प्रयोग किया जाए.

क्लाेस 2 परीक्षा के लिए मुंबई सवावि में किए गए मूल्यांजकन से मैं बहुत संतुष्टग हूँ. इसमें अधिकारियों ने स्पाष्टम रूप से अनुदेश दिए और क्लाेस 2 परीक्षाओं के मूल्यां□कन हेतु किसी समस्याि का सामना कर अभ्योर्थियों की मदद की. मुझे हैरानी हो रही थी कि इतने सारे लोग मूल्यांहकन के लिए आए थे और अधिकारियों ने कार्य को इतनी तेजी से संपन्नए किया कि सब का कागजी काम एक ही दिन में पूरा हो गया. पूरी टीम ने भरपूर कौशल के साथ कार्य किया. ऑनलाइन बुकिंग की वजह से परीक्षा का शुल्कय देना बहुत आसान हो गया है. जहां तक परीक्षाओं का प्रश्नक है नौवहन महानिदेशालय का भवन बड़ा ही आकर्षक और सुविधा से सुसंपन्नक है. मौखिक परीक्षा देने से पहले बैठने के लिए जगह बहुत ही अच्छीा है तथा साफ-सुथ शौचालय, पीने का ठंडा पानी और प्रतीक्षा के लिए वातानुकूलित जगह जैसी सुविधाएं बड़ी अच्छीआ लगी. और मै मौखिक परीक्षा देते समय बहुत ही सहज था. कुल मिलाकर 2012-13 में मैंने जब क्लाीस4 की परीक्षाएं दी थी तब से आज में आया अंतरमेरे लिए अत्यं त प्रसन्निता का कारक रहा है. चीजें बड़ी से बदली है. इतने सुखद अनुभव के लिए धन्येवाद

जयंत सिंह नेगी टिकट नं.238581

नाविक का अर्थ

वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) नियम, 2016 में दिए अनुसार समुद्रीय श्रम कन्वेंुशन के प्रावधानों की दृष्टि से समुद्रकर्मी का अर्थ है :

"कोई ऐसा व्यकक्ति जो समुद्रगामी पोत पर किसी क्षमता में नौकरी करता हो या कार्य पर लगाया गया हो या कार्य करता हो किंतु इनमें ये लोग शामिल नहीं है:

i) युद्ध पोत में कोई वयक्ति किसी क्षमता में पोत पर नौकरी कर रहा हो या कार्य पर लगाया गया हो या कार्य करता हो या

ii) कोई सरकारी पोत जो कि सैनिक या वाण्ज्येितर प्रयोजनों से चलाया जाता हो"

समुद्रकर्मी/ हितधारी की प्रतिक्रिया

मेरी ओर से कमाल की इस मददगार ऑनलाइन सेवा के लिए धन्य वाद.

कृष्णाओ होडा टिकट सं.68773

शिकायतों/ प्रश्नों□ के समाधान के लिए समुद्रकर्मियों और हितधारियों हेतु सुविधा

सभी समुद्रकर्मी / हितधारी निम्नो.क्त संबंधित अपने प्रश्नe/ समस्या एं भेज सकते हैं

(1) ई-गवर्नेंस के मामले :

ई-मेल आईडी	फोन नं.	एक्टें ुद□□
egovernance-dgs@nic.in	022-25752040/41/42/43	282/283

(2) अन्य मामलों के लिए:

(i) निदेशालय को ई-मेल **(helpdesk-dgs@gov.in) के माध्यम से प्रश्न: / समस्याी समाधान हेतु भेजे जाने के लिए सुविधा है**

(ii) एक ऑनलाइन सहवर्ती फीडबैक शिकायत समाधान प्रणाली बनाई गई है और यह जून, 2016 से सक्रिय है. यह बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन सेवा है जिससे शिकायतों का समाधान किया जाता है. समुद्रकर्मियों/ हितधारियों को भी सेवाओं को अंक देने का विकल्प2 दिया गया है. आज तक 2318 (30.06.2017 की स्थिति के अनुसार) प्रश्नों□ का उपयुक्त रूप से जवाब दिया गया है/ समाधान किया गया है. समुद्रकर्मी / हितधारी इस प्रणाली का प्रयोग कारगर और परिच्छेैद 2(i) के अंतर्गत लिखे अनुसार ई-मेल के वैकल्पिक तरीके रूप में अपना रहें हैं. ऑनलाइन प्रणाली के लिए ये कदम निम्नावत् उठाएं जाएंगे:

Log in >www.dgshipping.gov.in>feedback>feedbackcenter> helptopic.

(iii) हेल्पvडेस्क> की ई-मेल आइडी और टेलीफोन नं. नीचे दिए गए हैं :

ई-मेल आइडी	फोन नं.	एक्टें □□श
helpdesk-dgs@gov.in	022-25752040/41/42/43	236

एसएमसी / डीओसी / डीडीओसी एक नजर में

तिमाही के दौरान जारी किए गए एसएमसी/ डीओसी/ डीडीओसी का विवरण एक नजर में

जारी किए गए एसएमसी/ डीओसी/ डीडीओसी

विषय	अप्रैल,17	मई, 17	जून, 17	कुल
एसएमसी	09	12	15	36
डीओसी	04	05	11	20
डीडीओसी	01	02	01	04

समुद्रकर्मी/ हितधारी की प्रतिक्रिया

परीक्षाएं बहुत अच्छी तरह से ली जाती हैं, सीट बुक करना आदि सभी कुछ बहुत अच्छा है.

अंगद सिहं टिकट नं. 208673

भारतीय नौवहन टनभार

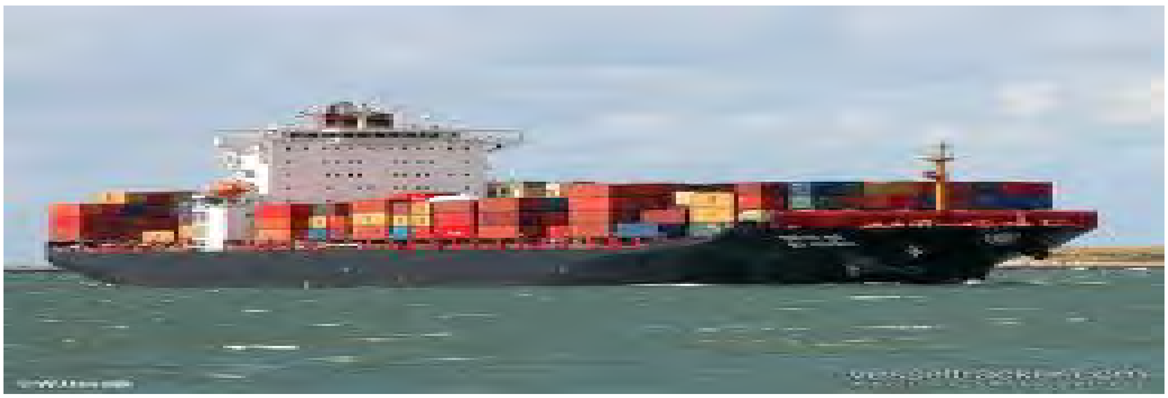

भारतीय पोतों में भारतीय नियंत्रण वाले पोत शामिल हैं और स्थिति नीचे दिए गए ग्राफ में मिलियन सकल टनभार के रूप में टनभार स्थिति दर्शाई गई है:

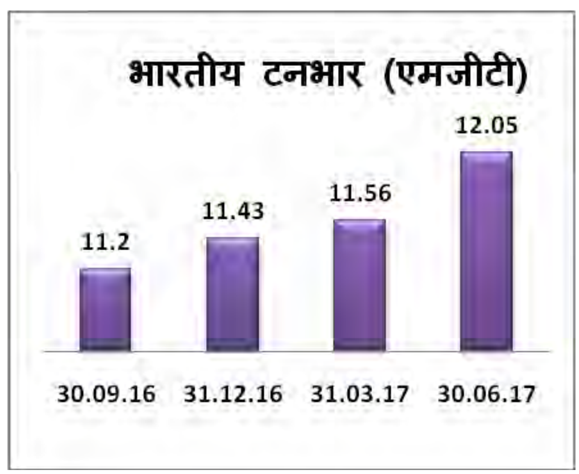

सवावि, चेन्नरई का धन्यपवाद कि एक ही दिन में अनुमोदन और अभ्येर्थी को डीसीई मिल भी गया.
प्रवीण टिकट नं.. 894080

आईएमओ प्रतिभागिता :

भारत आईएमओ का एक सक्रिय सदस्य0 है गत तिमाही के दौरान निम्नोईक्तस अधिकारियों ने आईएमओ लंदन, सिंगापुर, लिशटेंन्टीीई मन और न्यूएयार्क में आयोजित सत्रों / बैठकों में भाग लिया

1.	पोत उपकरण और प्रणाली(एसईएस) पर उप समिति के चौथे सत्र में दिनांक 20.04.17 से 24.04.2017 तक श्री नेबू ओमेन पोत सर्वेक्षक सवावि, मुंबई उपस्थित रहे ;
2.	दिनांक 24.04.17 से 28.04.2017 तक आईओपीसी फंड मीटिंग में कप्ताहन जयाकुमार, उप नॉटिकल सलाहकार और श्री आस मोहम्मेद उमनि (प्र) ने भाग लिया;
3.	दिनांक 26.04.17 से 28.04.2017 तक श्री अमिताभ कुमार अपर महानिदेशक ने आईएमओ की विधिक समिति के 104थे सत्र में भाग लिया;
4.	दिनांक 13.05.17 से 17.05.2017 तक श्री सुरेश कुमार आरएम, मुख्यी पोत सर्वेक्षक द्वारा आईएमओ सदस्यक राष्ट्रे लेखा परीक्षा के अंतर्गत किरीबाती की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा का नामांकन में उपस्थित रहे;
5.	दिनांक 29.05.17 से 02.06.2017तक ईएफटीए - भारत बातचीत का 16वां राउंड, मेलबन में श्री आस मोहम्म द उमनि (प्र) उपस्थित रहे
6.	दिनांक 05.06.17 से 09.06.2017 तक श्री ए.बी. दत्ताप, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक एसडीजी-4 के कार्यान्विहयन में समर्थन की यूएन कॉन्फ्रें□स में उपस्थित रहे
7.	दिनांक 23.06.2017 को डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार ने फेयर ट्रीटमेंट ऑफ सीफेयररर्स पर कार्यशाला में भाग लिया.

2) पदोन्न ति :

1.कप्तानन एस.आई अबुल कलाम आज़ाद, नॉटिकल सर्वेक्षक को दिनांक 16.06.2017 को उप नॉटिकल सलाहाकर के पद पर पदोन्न त कर सवावि, मुंबई में तैनात किया गया है.

3) पेंशन पेपर / केस : निम्नोंक्तों पेपर पेंशन/ केस तैयार कर पीएओ (नौ) मुंबई एवं कोलकाता तथा आईएमयू परिसर, मुंबई तथा कोलकाता को भेज दिए गए हैं.

1.श्री राजू प्रसार कलीनर हैंड आईएमयू, कोलकाता.

2.श्री सुप्रिय दास, स्टोयरकीपर आईएमयू कोलकाता.

3. श्री वी.ए. ठोरट, आईएमयू, मुंबई.

4. श्री दिलीप कुमार, सिकदर, क्लीयनर हैंड, आईएमयू कोलकाता.

5.श्री टी. के. गांगुली, वर्कशाप अटेंडेंट, आईएमयू कोलकाता.

6श्री ए. एच. बैकर, एमटीएस (चपरासी), आईएमयू मुंबई.

7.श्री एस.एस. देसाई, लेखापाल आईएमयू मुंबई.

8. श्री माइकल कोली, नाविक, आईएमयू मुंबई.

9. श्री तपन भट्टाचार्य, आईएमयू कोलकाता.

10 ग्रुप बी और सी के पेंशन मामलों के निपटान का कार्यान्वईयन प्रत्येाक ग्रुप में केश भविष्य. पेंशनर पोर्टल2 के माध्यम से प्रक्रियागत हैं.

4) नई नियुक्ति :

1.कप्ताईन एस. मुखोपाध्याा,नॉटिकल सर्वेक्षक 10.04.2017 से ;

2. श्री संदीप अवस्थीस, सहायक नौवहन महानिदेशक19.04.2017 से;

3. कप्तासन पूरण चंद मीणा, नॉटिकल सर्वेक्षक17.05.2017 से.

5) स्थानांतरण और तैनाती :

(I) कप्तान मोहित कुमार बहल, सवावि, मंगलौर से नौमनि, मुंबई 04.04.2017 से .

(II) कप्तान तपेश घोष, विशाखापट्टनम से सवावि, चेन्न7ई 04.04.2017 से.

(III) कप्तापन नितिन मुकेश, सवावि, कोलकाता से सवावि, मुंबई17.04.2017 से .

6) **एमसीपी:**

(I नौमनि के वर्ग 'ख' अधिकारी और वर्ग 'घ' कर्मचारियों को एमएसीपी दी गई – कुल 12.

(II) एमपीएसओ के वर्ग 'क' अधिकारियों को एमएसीपी दी गई कुल-2

7) **ऑनलाइन मांग :** नौमनि और अधीनस्था कार्यालयों के वर्ग 'ग' कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को ऑनलाइन मांग भेजी गई-कुल 87 पद

8) **मूल विभाग में वापस जाना :** डॉ. अमोल बी. कीर्तने, भारासे, उमनि, प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के उपरांत अपने मूल कार्यालय में चले गए.

9) **सेवा निवृत्ति** : कप्ता न एस. के. शुक्लार, प्रधान अधिकारी सवावि, कांडला, अधिवर्षिता की आयु प्राप्तट कर सरकारी सेवा से दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्तक हो गए.

राजभाषा हिंदी

नौवहन महानिदेशालय

दिनांक 27.04.2017 को नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार डॉ. मालिनी वि. शंकर की अध्यदक्षता में संपन्न7 राजभाषा कार्यान्वेयन समिति की बैठक में अध्यरक्ष महोदया द्वारा यह आदेश दिया गया था कि सातवें समुद्रकर्मी दिवस के अवसर पर विभिन्ना समुद्रकर्मियों तथा नौवहन कंपनियों आदि के साथ हिंदी में सांस्कृसतिक कार्यक्रम आदि का अयोजन किया जाए. जिससे निदेशालय के साथ-साथ समुद्री जगत में भी हिंदी के प्रति रूझान बढ़े. उक्तआ के अनुसरण में निम्नरलिखित कार्यक्रम किए गए :

1. दिनांक 25.06.2017 को सुबह 9 बजे से 10 तक कामा हॉल लायन गेट के सामने मुंबई पत्ततन न्या स के अध्य क्ष, श्री संजय भाटिया, भा.प्र.से. के मार्गदर्शन में एसोसिएशनों सहित समुद्रीय जगत के गण्यनमान व्य क्तियों के साथ-साथ समुद्रकर्मियों को ध्या्न-योग का अभ्यारस करवाया गया.

2. हिंदी नाटक, गायन आदि विभिन्ने कार्यक्रमों का मंचन तथा प्रस्तुातियां दिनांक 25.06.2017 को एमटीआई, एससीआई, पवई के हॉल में मुख्यन समारोह के दौरान धूमधाम के साथ आयोजित की गईं.

3. इनमें भाग लेने वाले समुद्रकर्मियों को मेमेंटों प्रदान किए गए. भविष्यध में नकद पुरस्काुर आदि विधिवत् दिए जाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी.

4. इस नाविक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्यट अतिथि के रूप में अपर नौवहन महानिदेशक श्री अमिताभ कुमार, भा.रा.से. पधारे. उक्तद अवसर पर प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्यश विभाग, मुंबई उपस्थित थे तथा नौवहन जगत की एसोसिएशनों सहित तमाम गण्यजमान्यव लोग और एमटीआई के प्रिंसिपल, कप्ता न फिलिप मैथ्यू ज़ सहित विभिन्न समुद्रकर्मी संस्थायनों के शिक्षक, प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षणार्थियों से दर्शक दीर्घा खचाखच भरी हुई थी.

5. समूचे नौवहन जगत सहित विभिन्नी नौवहन कंपनियों तथा नौवहन संबंधी प्रशिक्षण संस्थाुनों ने भी अंग्रेजी की लीक से हटकर हिंदी में कार्यक्रम आयोजित किए जाने की दिशा में बढ़-चढ़ कर उत्सागह दिखाया.

6. इस प्रकार से नाविक दिवस के उपलक्ष्य् में किए गए आयोजन सफलतापूर्वक हिंदी में कर संघ की राजभाषा के प्रयोग में उत्तवरोत्तयर वृद्धि के क्रम में एक और अध्याि‍य जोड़ा गया.

7. उल्लेयखनीय है कि उक्तज कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी प्रस्तुि‍तियां तथा यथासंभव वक्ततव्यर हिंदी में ही दिए गए. एमसी (मास्टार ऑफ सेरेमनी) की भूमिका निभाते हुए निदेशालय के श्री विमलेन्द्रऑ भदौरिया ने उक्तभ दोनों कार्यक्रमों का संचालन एमसी (मास्टेर ऑफ सेरेमनी) की भूमिका निभाते हुए निदेशालय के श्री विमलेन्द्रे भदौरिया ने उक्तक दोनों कार्यक्रमों का संचालन हिंदी में किया.

2) इस तिमाही में सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा नामत: प्रशिक्षण , कार्मिक, नॉटिकल , समन्व य एवं नौवास्तुइ अनुभाग का क्रमश: दिनांक 19.06.17, 20.06.17, 21.06.17, 22.06.17 एवं 23.06.17 को राजभाषा हिंदी से संबंधित निरीक्षण किया गया .

3) नगर राजभाषा कार्यान्वायन समिति , उत्त.र मुंबई (कार्यालय) की बैठक दिनांक 29 मई , 2017 को पूर्वाह्न 11.30 बजे सीप्ज़ सेज़ में विकास आयुक्त6 सीप्ज़(की अध्यनक्षता में आयोजित हुई. इस प्रथम छमाही बैठक में इस महानिदेशालय के उप नौवहन महानिदेशक (प्रशासन) के साथ सहायक निदेशक (राभा) द्वारा भाग लिया गया. इस बैठक में राजभाषा से संबंधित विभिन्नर विषयों पर चर्चा की गई.

4) नौवहन महानिदेशालय में राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव , भारत सरकार की अध्याक्षता में दिनांक 27/04/2017 को आयोजित की गई. इस बैठक में निदेशालय के सभी अनुभाग और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई.

5) नौवहन महानिदेशक द्वारा निदेशालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने एवं कंप्यूीटर पर अधिकाधिक कार्य यूनीकोड और इससे संबंधित टूल्से के माध्यलम से किए जाने के बारे में कार्यशाला को आयोजित किए जाने संबंधी आदेश का पालन करते हुए निदेशालय के सभी कार्मिकों के लिए कंप्यू टर एवं इससे संबंधित टूल्स की जानकारी देने के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन दिनांक 29.06.2017 को किया गया. इस विशेष कार्यशाला में हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक, श्री अनंत श्रीमाली द्वारा उक्त1 के संबंध में जानकारी प्रदान की गई.

क्षेत्रीय कार्यालयों में गतिविधियां

समुद्री वाणिज्य विभाग (सवावि), चेन्ननई

पतन्ना राष्ट्रा नियंत्रण/ ध्वाज राष्ट्रा कार्यान्वधयन के अंतर्गत 10 निरीक्षण किए गए. इसी तरह से तिमाही के दौरान 17 जलयानों का सर्वेक्षण किया गया. तिमाही के दौरान 3 प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदन दिए जाने के लिए निरीक्षण किया गया. इंजीनियरिंग परीक्षाओं में 626 अभ्यिर्थी बैठे तो नॉटिकल परीक्षाओं में 263 अभ्य.र्थियों ने भाग लिया. तिमाही के दौरान 1447 प्रमाणपत्र जारी किए गए जिनमें सीओसी को मान्यठता दिया जाना, सीओसी और डीसीईई आदि शामिल थे. गतिविधियों का विवरण निम्ना नुसार हैं :

- ❖ 54वें राष्ट्री□य समुद्रीय दिवस समारोह के भाग के रूप में विभिन्नस कार्यक्रम जैसे कि प्रेस कांफ्रेंस, सेमिनार, मार्च पास्टत, वरिष्ठ् समुद्रकर्मियों को सम्मामनित किया जाना आदि 3.04.2017 से 5.04.2017 तक आयोजित किए गए;
- ❖ स्वकच्छ भारत अभियान के संबंध में सवावि, चेन्निई और एसडब्यूकि □ओ/ एसईओ/ एसओ, चेन्न्ई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिनांक 03.04.2017 को कार्यालय परिसर के सफाई का कार्य किया साथ ही 8.04.2017 (शनिवार) को पूरे कार्यालय परिसर जैसे कि बरामदे, सीढ़िया कार्य करने की जगह और पार्किंग की जगह के रास्ते प्रयोग में न लाए गए सामान का निपटान, फर्नीचर, उपकरण आदि सहित एंकरगेट बिल्डिंग के बाहर पूरे कार्यालय परिसर की सफाई के कार्य किए गए.

- 19.04.2017 को पीएससी/ एफ एसआई निरीक्षण से संबंधित मामलों पर सवावि, चेन्नकई के अधिकारियों के साथ नौमनि, मुंबई द्वारा एक वीडियो कॉफ्रेंसिंग की गई.

- 8-9 जून, 2017 को अंतरराष्ट्रीोय तेल प्रदूषण क्षतिपूर्ति और उत्तीरदायित्वक व्य वस्था पर विवांटा बाई ताज पणजी, गोवा में आयोजित कार्यशाला में श्री एस. बारिक, प्रधान अधिकारी, सवावि, चेन्न ई और कप्तापन तपेश घोष, नॉटिकल सर्वेक्षक, सवावि, चेन्न ई ने भाग लिया.

- सवावि, चेन्नॉई ने 21.06.2017 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मानाया गया . योग के महत्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया.

- 22.06.2017 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. अपने रोजाना के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने के लिए सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रोत्साजहित किया गया.

<u>समुद्रकर्मी/ हितधारी की प्रतिक्रिया</u>

अनुभव बहुत अच्छात रहा; परीक्षा हॉल की व्ययवस्थाएं बड़ी अच्छीि थीं. परिणाम समय पर आ गया. कर्मचारी बहुत ही मददगार थे.

विन्दे श्व री तिवारी टिकट सं680714